न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11/2015

प्रविष्टि दिनांक 04.09.2015

कजोड पुत्र श्योकरण जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–अम्बालाल पुत्र श्योकरण जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक

2–आवंटन सलाहकार समिति.टोंक

.....अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री भजनलाल सैनी,अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री रजनीश यादव,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय **दिनांक 15.01.2018**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.02.1983 को अम्बालाल पुत्र श्योकरण जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला को आ0ख0नं0 196 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील टोंक में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दोराने बहस कथन किया कि उक्त भूमि पर पूर्व से ही प्रार्थी के पिता स्व0 श्योकरण काबिज था तथा उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थी काबिज रहा लेकिन परिवार मे बडा होने की वजह से अप्रार्थी नं0 1 ने उक्त भूमि को अपने कब्जे मे बताकर पटवारी हल्का ने भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा मानते हुए अलाटमेन्ट करवाया गया है। अप्रार्थी नं0 1 भूमिहीन व्यक्ति नही है। अप्रार्थी ने भूमिहीन काश्तकार बताकर ग्राम सोलतपुरा मे उक्त भूमि आवंटित करवाली है,जबकि अप्रार्थी ग्राम वजीरपुराकंला का निवासी है। अप्रार्थी के नाम अन्य ग्रामो मे कृषि योग्य भूमि है।अतः आवंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने दोराने बहस कथन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्राथी अम्बालाल पुत्र श्योकरण जाति मीणा को आ0ख0नं0 196 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील टोंक में दिनांक 04.02.1983 को आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि दिनांक 17.06.1983 को सुपुर्दगी मे दी गई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने के उपरान्त

जिला कलेक्टर
टोंक

खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी द्वारा लगभग 32 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी अम्बालाल पुत्र श्योकरण जाति मीणा द्वारा आवेदन पत्र भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 04.02.1983 को खसरा नम्बर 196 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील टोंक मे आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि दिनांक 17.06.1983 को सुपुर्दगी मे दी गई है जो नकल जमाबंदी सम्वंत 2060 वाके ग्राम सोलतपुरा तहसील टोंक अप्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी के नाम वाके ग्राम सोलतपुरा,वजीरपुराकंला,कचरावता व बिलासपुरा तथा भवंर खो मे कृषि भूमि है तथा प्रार्थी के पिता श्योकरण व उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है,परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजात साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा लगभग 32 वर्ष उपरान्त आवंटन निरस्त करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी को भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर अम्बालाल पुत्र श्योकरण जाति मीणा निवासी वजीरपुराकंला तहसील व जिला टोंक को दिनांक 04.02.1983 को ग्राम सोलतपुरा तहसील टोंक की आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक